न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/300
दायरा तिथि : 19.12.2023
आदेश तिथि : 02-08-2024
प्रार्थी :–

नाथुसिंह राणावत पुत्र कुन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी भानुपरा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 02-08-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 36 रकबा 1.27 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 30 रकबा 2.36 हैक्टर व खसरा नंबर 35 रकबा 1.98 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1911 दिनांक 14.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार मंडल दूदनी तहसील बाली के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 36 रकबा 1.2700 हैक्टर की भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। वर्तमान में आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु इसी खसरें में से ही आना जाना करता है। जो मौके पर चल रहा है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता सडक अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है। इससे कम दुरी का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) में रास्ते हेतू प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	30	2.36 हैक्टर	गै.मु. मगरी	50X9= 450 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	35	1.98 हैक्टर	गै.मु. मगरी	260X9= 2340 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) की डी.एल.सी. दर 148640 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2023/300

अनवान नाथुसिंह राणावत बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात तहसीलदार बाली से रास्ता हेतु प्रभावित खसरों की स्पष्ट डीएलसी रेट हेतु पुन रिपोर्ट मंगवाई गई। निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा से रास्ता हेतु प्रभावित खसरों की डीएलसी दर की पुनः रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 36 रकबा 1.27 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1911 दिनांक 14.02.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 36 रकबा 1.27 हैक्टर की भूमि की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 30 रकबा 2.36 हैक्टर व खसरा नंबर 35 रकबा 1.98 हैक्टर में से **450+2340=2790 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार क़ो देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 148640 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
30	2.36 हैक्टर	50X9= 450 वर्गमीटर	15	6750 X2=13500	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
35	1.98 हैक्टर	260X9= 2340 वर्गमीटर	15	35100X2=70200	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 83700/– (अक्षरे तैयासी हजार सात सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश विश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

क्रमॉक/कोर्ट/2024/969-973
दिनांक : 05-08-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री नाथुसिंह राणावत पुत्र कुन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी भानुपरा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner